



We smarten up your life..™

# निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

हितलाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंशदान राशि के 50 से 100 प्रतिशत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण।

योजनाहितलाभ मण्डल द्वारा देय अंशदान/प्रीमियम(रु.)

योजना	हितलाभ मण्डल	द्वारा देय अंशदान/प्रीमियम(रु.)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रु. बीमा राशि	12.00 (100 प्रतिशत)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	बीमित की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रु.	165.00 (50 प्रतिशत)
अटल पेंशन योजना	सदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर 1 हजार से 5 हजार रु. मासिक पेंशन	252 से 1,746 रु. (आयु के अनुसार 1000/- पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत)
भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना)	दुर्घटना में मृत्यु होने पर- 75,000 रु. स्थाई पूर्ण अशक्तता पर-75,000 रु. स्थाई अपूर्ण अशक्तता पर- 37,500रु सामान्य मृत्यु पर- 30,000 रु.	मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हिताधिकारियों का बीमा कराया गया है।

## पात्रता एवं शर्तें

- हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता रखता हो।
- उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो।
- स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।

## आवेदन की समय सीमा

योजनानुसार वर्ष में कभी भी।

## आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

- भरा हुआ योजना का फॉर्म।
- हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो की प्रति।
- हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक)।
- भामशाह परिवार कार्ड या भामाशाह नामांकन की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।

आवेदन शुल्क - 32/- रूपये